राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(जन सम्पर्क अनुभाग)

फोन : 0141–2740381 (Ext.1010) फैक्स : 0141–2740106 Email-pro@rvpn.co.in

क्रमांक /रा.रा.वि.प्र.नि./जन–सम्पर्क/प्रसारण/2017/प्रे. 250 जयपुर, दिनांक 19/5/17

सेवामें,

....

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

....

विषयः– हिन्दी समाचार पत्रों में हिन्दी में ही विज्ञापन जारी करने के राज्यादेशों की पालना हेतु।

महोदय,

कई बार ये देखने में आता है कि कुछ कार्यालय क्षेत्रीय व राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन के लिए अंग्रेजी सामग्री भेज देते है।

शासन की राजभाषा नीति के अन्तर्गत हिन्दी समाचार पत्रों में हिन्दी में ही विज्ञापन/विज्ञप्ति दिये जाने के लिए शासन सचिव, शिक्षा एवं भाषा विभाग द्वारा दिनांक 11.05.1999 को परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट उल्लिखित था कि शासन के निर्णयानुसार हिन्दी समाचार पत्रों में हिन्दी में ही विज्ञापन/विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाएंगे। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश क्रमांक 5440–5940 दिनांक 29.11.1997 द्वारा समस्त शासन सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी जिला कलक्टर, अर्द्ध सरकारी संस्थानो आदि को प्रशासनिक कार्यों में राजभाषा हिन्दी का ही प्रयोग करने एवं हिन्दी समाचार पत्रों में हिन्दी में ही विज्ञापन/विज्ञप्तियां प्रकाशित करवाये जाने के स्पष्ट आदेश प्रदान किये हुए है।

अतः आप से अनुरोध है कि भविष्य में क्षेत्रीय व राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन सामग्री हिन्दी में भिजवाने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

19/5/17

(पुखराज सेन)

सचिव (प्रशासन)